न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 69/2022 श्रवण बनाम किशनी

1. श्रवण पुत्र श्री गणेश जाट उम्र करीबन 60 निवासी ग्राम सील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

बनाम

1. किशनी पत्नि गणेश
2. सुरेश पुत्र रामधन
3. महेश पुत्र रामधन
4. मनोहर पत्नि रामधन
5. रामनारायण पुत्र गणेश
6. हंसा पुत्री गणेश
7. काली पुत्री गणेश
8. बदाम पुत्री गणेश

सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम सील तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

9. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 16/5/25

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री रामदेव गूर्जर के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 22.7.2022 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 69/2022 पर दर्ज किया गया। वकील प्रार्थी रामदेव गुर्जर ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी पैतृक आराजी ग्राम अरांई के वर्तमान खसरा संख्या 1339 रकबा 0.5987 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1336 रकबा 1.5533 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी के पिता से प्राप्त सम्पति है जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से प्रार्थी 1/7 हिस्सा अर्थात 1/84 हिस्सा पाने का अधिकारी है. ग्राम सील स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 23,317,361 455, 457 87 कुल खसरा 06 कुल रकबा 16.5926 हैक्टेयर में प्रार्थी 1/122 हिस्सा पाने का अधिकारी है, खसरा संख्या 351, 352 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1375 हैक्टेयर में प्रार्थी 1/448 हिस्सा पाने का अधिकारी है तथा खसरा संख्या 318, 319, 336, 337, 339, 340, 360, 446, 453, 456 कुल खसरा 10 कुल रकबा 3.9398 हैक्टेयर में प्रार्थी 1/336 हिस्सा पाने का अधिकारी है तथा खसरा संख्या 25. 316, 335, 346, 349 कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.9106 हेक्टेयर में प्रार्थी 1/28 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा ग्राम डांग स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 728, 730 कुल खसरा 02 कुल रकबा 15.8564 हैक्टेयर में प्रार्थी 1/196 हिस्सा प्रार्थी पाने का अधिकारी है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 वृद्ध

है. अनपढ है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ग्राम अरांई स्थित भूमि का उपहार प्रलेख धोखे से अपने नाम करवा लिया है तथा अन्य भूमि को भी बेचान व खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद वर्णित आराजी का बेचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त नहीं करने बाबत् एवं प्रार्थीगण के कृषकीय कार्य में किसी प्रकार की मदाखलत उत्पन्न नहीं करने अर्थात मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण व इनके नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की कृपा करावें।प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.7.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को एकपक्षीय सुनवाई कर अस्थाई निशेधोज्ञा से पाबन्द किया गया । अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

2. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम अरांई के वर्तमान खसरा संख्या 1339 रकबा 0.5987 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1336 रकबा 1.5533 हैक्टेयर ग्राम सील स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 23,317,361 455, 457 87 कुल खसरा 06 कुल रकबा 16.5926 हैक्टेयर , खसरा संख्या 351, 352 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1375 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 318, 319, 336, 337, 339, 340, 360, 446, 453, 456 कुल खसरा 10 कुल रकबा 3.9398 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 25. 316, 335, 346, 349 कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.9106 हेक्टेयर तथा ग्राम डांग स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 728, 730 कुल खसरा 02 कुल रकबा 15.8564 हैक्टेयर का ताफैसला मूल वाद किसी प्रकार वर्णित विवादित आराजी का बेचान, हस्तानान्तरण, शक्ल परिवर्तन, रहन नही करेगे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)